सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 864 राँची, गुरुवार

19 अग्रहायण, 1937 (श०)

10 दिसम्बर, 2015 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

3 दिसम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के समयपूर्व लौटने के कारण अगस्त-सितम्बर, 2015 से अत्यल्पवृष्टि के फलस्वरूप फसल क्षति के नजरिया आकलन के आधार पर झारखण्ड राज्य को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने के संबंध में।

संख्या- 1683--राज्य में अगस्त, 2015 तक सामान्य वर्षापात हुई और फसल की स्थिति सामान्य रही, परन्तु माह अगस्त 2015 के उत्तरार्ध एवं सितम्बर, 2015 में मानसून के बेहद कमजोर होने एवं समयपूर्व लौटने के कारण सितम्बर एवं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वर्षापात अत्यंत अल्प अथवा नगण्य रही। इसका अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव फसल उत्पादन एवं उत्पादकता पर पड़ा है। कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 6 नवम्बर, 2015 तक राज्य के कुल 64 प्रखण्डों में 50% से अधिक एवं 62 प्रखण्डों में 40% से अधिक फसल क्षति प्रतिवेदित है। राज्य के शेष प्रखण्डों में भी नजरिया आकलन के अनुसार व्यापक फसल क्षति का अनुमान है। कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक लगभग धान की 37.07% मक्के की 27.06% दलहन की 16.85% एवं तेलहन की 13.44% फसल क्षति प्रतिवेदित है जिसके और बढ़ने की संभावना है। पूर्व में राज्य में कुल उत्पादन 74.71 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन अनुमानित था, परन्तु अल्पवृष्टि के कारण अब 65.00 लाख मेट्रिक टन उत्पादन अनुमानित है जिसके और भी

घटने की संभावना है। इसके फलस्वरूप अनाज एवं चारे की भारी कमी होने की संभावना है। कृषि विभाग के अनुसार फसल कटनी का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने तक राज्य में और अधिक फसल क्षति का अनुमान है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पूरे राज्य में तीन वर्षों (2013, 2014 एवं 2015 में) भू-गर्भ जलस्तर में 3 मीटर या उससे अधिक की गिरावट आयी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में जलाशयों के जलस्तर में गिरावट के कारण जलसंकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के समयपूर्व लौटने की स्थिति में अगस्त-सितम्बर, 2015 में अत्यंत अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ घोषित करने के लिए निर्धारित मानकों में से फसल क्षति के नजरिया आकलन, भू-गर्भीय जलस्तर में गिरावट तथा अनाज एवं चारे की कमी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

i. झारखण्ड राज्य को सुखाग्रस्त घोषित किया जाता है।

ii. भारत सरकार को झारखण्ड राज्य को सुखाग्रस्त घोषित करने हेतु Memorandum प्रेषित की जाय।

iii. झारखण्ड राज्य के क्षेत्र भ्रमण के लिए भारत सरकार से केन्द्रीय दल भेजने हेतु अनुरोध किया जाय।

iv. राज्य में सूखे के स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा SDRF/NDRF से राशि व्यय करने की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जाय।

3. उपरोक्त कंडिका 2 में अंकित निर्णय मंत्रिपरिषद् की दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-12 द्वारा लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
भगवान दास,
सरकार के विशेष सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 864—50 ।